न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1475–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–6–15 पारित द्वारा तहसीलदार, बड़नगर जिला उज्जैन प्रकरण क्रमांक 09/अ–70/2011–12.

1– हेदरखां पिता गफ़ुरखां
2– भूरूखां पिता मोहम्मद हनीफ
निवासी ग्राम लिखोदा
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन .....आवेदकगण

विरूद्ध

रसुलखा पिता अब्दुल अजीज खां
निवासी ग्राम लिखोदा
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन .....अनावेदक

श्री ए0आर0 यादव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बड़नगर-जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, बड़नगर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 79/2 रकबा 0.58 हेक्टेयर का सीमांकन कराये जाने पर अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि 0.58 हेक्टेयर के पूर्व दिशा की भूमि 0.40 पर आवेदकगण द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, अतः उसे कब्जा दिलाया

जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 09/अ–70/2011–12 दर्ज कर दिनांक 5–6–15 को संहिता की धारा 250 (3) के अंतर्गत अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण की भूमि सर्वे नमबर 205 जिसका नया सर्वे नम्बर 79 रकबा 1.20 एवं सर्वे नम्बर 69 रकबा 0.98 कुल रकबा 2.18 आरे कायम हुए । बंदोबस्त के दौरान सर्वे नम्बर 205 रकबा में 0.74 रकबा कम हो गया है, अतः आवेदकगण द्वारा विधिवत कार्यवाही की गई है, और तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 40/अ–6–अ/2011–12 दर्ज कर दिनांक 23–10–2012 को आदेश पारित कर सर्वे नम्बर 79 के रकबे में 0.74 आरे रकबा बढ़ाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार द्वारा पुनः अपने ही उक्त आदेश के विपरीत आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र में नियमानुसार कब्जा किस समय था तथा किस समय उसे बेदखल किया गया है, और कितनी भूमि से बेदखल किया गया, उल्लेख होना चाहिए, परन्तु उपरोक्त उल्लेख अनावेदक द्वारा नहीं करने से उसका आवेदन पत्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) संहिता की धारा 250 (3) में स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के दिनांक से यदि 6 माह के भीतर यदि बेदखल किया गया है तो उक्त धारा के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है, परन्तु अनावेदक द्वारा दिनांक 7–4–2012 को सीमांकन कराया गया है एवं दिनांक 13–10–2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक को सहायता देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(4) बन्दोबस्त त्रुटि सुधार के आदेश दिनांक 23–10–2012 का अमल तहसीलदार द्वारा नहीं करवाया जाकर उसके विपरीत अनावेदक को कब्जा दिलाये जाने का अंतरिम आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 1975 आर.एन. 175 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा उभय पक्ष सहित पंचों की उपस्थिति में दिनांक 7–4–2012 को विधिवत सीमांकन किया गया है, और सीमांकन में अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 79/2 रकबा 0.58 हेक्टेयर में से पूर्वी दिशा के रकबा 0.40 हेक्टेयर पर आवेदक हैदरखां का अवैध कब्जा पाया गया है । मौके पर तैयार पंचनामा पर आवेदक कमांक 1 हैदर व उसके पिता ने हस्ताक्षर किये हैं, और आवेदक कमांक 1 हैदर ने बताया कि उसने अनावेदक के स्वामित्व की भूमि रकबा 0.40 हेक्टेयर, जिस पर उसका कब्जा था, उक्त भूमि को आवेदक कमांक 2 भूरू को विकय कर दिया है, इसका उल्लेख राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन में किया गया है ।

(2) अनावेदक की भूमि का सीमांकन दिनांक 7–4–2012 को हुआ है तथा उसके द्वारा 6 माह के भीतर ही समयावधि में दिनांक 30–5–2012 को तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(3) आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रकरण में गलत उत्तर प्रस्तुत कर प्रकरण के निराकरण में बाधा पहुंचाने का प्रयास किये जाने पर उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अंतरिम कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक की भूमि पर कोई अवैध अतिकमण नहीं किया गया है, और संहिता की धारा 250 (3) का आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने संबंधी आपत्ति की गई है, जो उचित नहीं है, क्योंकि संहिता की धारा 250 (3) के अंतर्गत अंतरिम आदेश जांच के किसी भी प्रकम में पारित किया जा सकता है ।

(4) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के सीमांकन आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है ।

(5) आवेदकगण द्वारा असत्य आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया गया है कि अनावेदक हैदरखां की भूमि का रकबा बंदोबस्त के दौरान कम हो गया था, जिसे दुरूस्त कराने हेतु तहसील न्यायालय में कार्यवाही की गई थी, जो प्रकरण कमांक 40/अ–6–अ/2011–12 दर्ज हुआ है । उक्त प्रकरण में आवेदक कमांक 1 हैदर खां एवं

अनावेदक रसूलखां को सुनकर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23–10–2012 को आदेश पारित कर आवेदक कमांक 1 हैदरखां की भूमि सर्वे कमांक 79 के रकबा 0.74 आरे बढ़ाने का आदेश दिया गया है, आवेदकगण का उक्त तर्क त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उक्त प्रकरण में अनावेदक रसूलखां के अलावा दो अन्य पक्षकार मुकद्दर खां एवं नियाज मोहम्मद भी थे, और उक्त प्रकरण में अनावेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

(6) संहिता की धारा 107 की उपधारा 4 के अंतर्गत बंदोबस्त के दौरान नक्शे में हुए त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है तथा बंदोबस्त के दौरान किसी भूमि के रकबे में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार संहिता की धारा 89 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय त्रुटि सुधार के प्रकरण में आदेश पारित करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1987 आर.एन. 236 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्कों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 (3) के अंतर्गत दिनांक 5–6–15 को आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन वर्ष 2012 में हुआ था । संहिता की धारा 250 (3) के अंतर्गत आदेश पारित करने हेतु 6 माह की अवधि प्रावधानित है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–15 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर